न्यायालय,समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0.............................से..

जिला–खगड़िया..............................,सा0...,सन्.................................

केस का प्रकारः–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्याः–177/2018 राज्य बनाम थाना खगड़िया(मुफसिल) कांड संख्याः–528/2018

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
26.09.2018	बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के तहत थाना खगड़िया (मुफसिल) में दर्ज कांड संख्याः–528/2018 दिनांक 04.08.2018 में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4459/हि0शा0, दिनांक 22.09.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, खगड़िया (मुफसिल) का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 750 एम0एल0 का 88 (अठासी) बोतल, 375 एम0एल0 का 80 (अस्सी) तथा 180 एम0एल0 का 46 (छियालिस) विदेशी शराब में से 750 एम0एल0 का 01 (एक) बोतल, 375 एम0एल0 का 03 (तीन) तथा 180 एमवएल0 का 06 (छः) बोतल विदेशी शराब माननीय न्यायालय के निदेशानुसार रसायन परीक्षक बिहार, पटना को भेजा गया है तथा शेष 750 एम0एल0 का 87 बोतल, 375 एम0एल0 का 77 बोतल तथा 180 एम0एल0 का 40 बोतल विदेशी शराब कुल–101.325 लीटर विदेशी शराब थाना खगड़िया (मुफसिल) के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है। अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना, खगड़िया (मुफसिल) के मालखाना में रखी गई कुलः–101.325 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना, खगड़िया में दर्ज कांड संख्याः–528/2018 कांडों के आधार पर जप्त की गई कुल–101.325 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया (मुफसिल)/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित। समाहर्त्ता, खगड़िया। समाहर्त्ता, खगड़िया।	

प्र0 28/9/18

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03.
	डी0बी0 नं0 553/विधि, दिनांक 26-9-18 प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया। 26/9/18	